रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 1972/ज्येष्ठ 26, 1894

No. 140] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 1972/JYAISTHA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th June 1972

SUBJECT:—*Import Trade Control Policy for the year April 1972—March 1973.*

No. 66-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the provisions contained in Para 4 of Appendix 28 of the Import Trade Control Policy (Red Book-Vol. I) for April 1972-March 1973 in terms of which the requirements of actual users for import of Caprolactum and DMT are to be met from imports through Public Sector Agencies.

2. On a review of the position, it has been decided that release orders for Caprolactum and DMT will be issued to the manufacturers of the undermentioned end-products only:—

(i) Caprolactum—For the manufacture of Nylon 6 staple fibre/fillament-yarn/tyre cord/Polyamides (nylon) resins/moulding powder.

(ii) DMT—For the manufacture of polyester film/polyester filament/polyester staple fibre/polyester resins and polyester coatings made from DMT.

3. The provisions contained in Para 4 of Appendix 28 of the Red Book (Vol. I) may be deemed to have been modified accordingly.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 जून, 1972

विषय: अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 वर्ष के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति ।

संख्या : 89—आई०टी०सी० (पी०एन०)/72. —अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 वर्ष के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा० 1) के परिशिष्ट 28 की कंडिका 4 में निहित व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसकी शर्तों के अनुसार वास्तविक उपयोक्ताओं की कैप्रोलैक्टम तथा डीएमटी. के आयात के लिए जरूरतों की पूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से किए गए आयात से की जाने वाली है ।

2. स्थिति को ध्यान में रखकर यह निश्चय किया गया है कि कैप्रोलैक्टम तथा डीएमटी के लिए रिहाई आदेश केवल नीचे उल्लिखित अन्तिम उत्पादों के विनिर्माणकर्ताओं को ही जारी किए जाएंगे :—

(1) कैप्रोलैक्टम—नाइलोन 6 स्टेपल फाइबर । फिलामेंट यार्न । टायर कार्ड । पालिएमाइड (नाइलोन) रेजिन । मोल्डिंग पाउडर के विनिर्माणकर्ता के लिए ।

(2) डी०एम०टी—पालिस्टर फिल्म।पालिस्टर फिलामेंट । पालिस्टर स्टेपल फाइबर । पालिस्टर रेजिन्स तथा डीएमटी से बने हुए पालिस्टर कोटिंग के विनिर्माण के लिए ।

3. रैडबुक (वा० 1) के परिशिष्ट 28 की कंडिका 4 में निहित व्यवस्थाओं को तदनुसार आशोधित किया गया समझा जाए।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1972